हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

T.I. प्र.न.

अंजाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्याय आपके द्वार 2018

5-6-18 जनावली सामान्य लोक अदालत में मामले माण्डेरान में पेश हुई। पत्रावली में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया वादग्रस्त भूमि का वादी ने क्रय किया था दुष्य में आई भूमि की अधिप्राप्ति प्रार्थी ने अपने बाद में चाही है। पेटा नक्शा मापन तहसीलदार दौसा के ज्ञाप-जवाब में के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि का मौके के हिसाब अनुसार [illegible] नियम दान रिकार्ड में [illegible] भूमि दर्ज रिकार्ड की गई है। अभी मौके के अनुसार [illegible] भूमि आधिपत्य रिकार्ड होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकृत निरस्त्र में प्रथम दृष्टया कोर्ट उचित का निपटान, तथा अपूरणीय क्षति का निर्धारण प्रार्थी के बनाम अप्रार्थीगण के पक्ष में जाता जा रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकृत निरस्त्र खारिज किया जाता है। पुनः दौसा मुआवजा [illegible] में मय ब्याज वादग्रस्त भूमि परिवहन का भुगतान दिया जाकर वाद के निपटान हो। निर्णय राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प माण्डेरान के समक्ष आज में निर्णय सुनाया गया

न्यायाधीश कलक्टर दौसा

राजस्थान

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दौसा जिला दौसा